



इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ

विशेष अपील संख्या - 176 वर्ष 2024

प्रादेशिक सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड

प्रबंध निदेशक के माध्यम से

.....अपीलकर्ता(ओं)

बनाम

वीरेंद्र कुमार और 33 अन्य

.....उत्तरदाता(ओं)

अपीलकर्ता(ओं) के अधिवक्ता : ललित शुक्ला

प्रतिवादी(यों) के अधिवक्ता : प्रदीप कुमार त्रिपाठी

मुख्य न्यायाधीश का न्यायालय

माननीय अरुण भंसाली, मुख्य न्यायाधीश

माननीय न्यायमूर्ति जसप्रित सिंह

1. इलाहाबाद उच्च न्यायालय नियम, 1952 के अध्याय VIII नियम 5 के अंतर्गत दायर की गई यह विशेष अपील, रिट-ए संख्या 2113/2024 (वीरेंद्र कुमार और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य) में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिनांक 07.07.2024 को पारित निर्णय और आदेश को चुनौती देती है, जिसके द्वारा निजी प्रतिवादियों की रिट याचिका को दिनांक 05.02.2024 के उस आदेश को रद्द करने के बाद स्वीकार कर लिया गया था, जिसमें अपीलकर्ता ने बढ़ी हुई अनुग्रह राशि की मांग करने वाले निजी प्रतिवादियों के अभ्यावेदन को अस्वीकार कर दिया था।

2. अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री ललित शुक्ला ने तर्क दिया कि निजी प्रतिवादियों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प चुना था और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अनुसार, उस समय उन्हें भुगतान की जाने वाली राशि के बाद, निजी प्रतिवादी किसी अन्य दावे को करने से वंचित हो जाते हैं।

3. आगे यह भी कहा गया कि निजी प्रतिवादियों द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प चुनने के बाद, योजना के अनुसार उन्हें केवल वही राशि मिल सकती थी जो 30.09.2015 के कार्यालय आदेश में उल्लिखित थी और इसके अलावा निजी प्रतिवादियों को कोई और राशि देय नहीं थी। इसके अलावा, 30.09.2015 के कार्यालय आदेश के अनुसार, निजी प्रतिवादियों को देय और लंबित कोई भी राशि उन विभिन्न दुग्ध इकाइयों/यूनियनों द्वारा भुगतान की जानी थी जहां

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

निजी प्रतिवादी अंतिम बार कार्यरत थे और ऐसी राशि का भुगतान करना अपीलकर्ता-संघ का कार्य नहीं था।

4. आगे यह तर्क दिया गया कि इसी तरह के एक मामले पर इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने विशेष अपील संख्या 379/2021 में विचार किया था, जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प चुनने वाले कर्मचारी किसी अन्य राहत के हकदार नहीं हैं। यह भी प्रस्तुत किया गया कि उक्त आदेश को सर्वोच्च न्यायालय ने बरकरार रखा था क्योंकि उक्त मामले में अपीलकर्ता द्वारा दायर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति याचिका (एसएलपी) खारिज कर दी गई थी। इस प्रकार, माननीय एकल न्यायाधीश ने दिनांक 30.09.2015 और 30.12.2022 के कार्यालय आदेश की भाषा को समझने में त्रुटि की है, जिसके परिणामस्वरूप न्याय का उल्लंघन हुआ है, और उक्त कारणों से दिनांक 08.07.2024 के निर्णय और आदेश को रद्द किया जाना चाहिए और रिट याचिका को खारिज किया जाना चाहिए।

5. इसके विपरीत, निजी प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रदीप कुमार त्रिपाठी ने प्रस्तुत किया है कि प्रतिवादी बड़ी हुई अनुग्रह राशि में अंतर के हकदार थे और संघ ने स्वयं दिनांक 30.09.2015 और 30.12.2022 के कार्यालय आदेश के माध्यम से ऐसे भुगतानों के लिए स्पष्ट प्रावधान किया था और इस पहलू पर विद्वान एकल न्यायाधीश ने दिनांक 08.07.2024 के निर्णय के माध्यम से रिट याचिका को स्वीकार करते हुए उचित रूप से विचार किया है।

6. यह भी तर्क दिया गया है कि प्रतिवादियों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प चुना था और दिनांक 30.9.2015 और 30.12.2022 के कार्यालय आदेशों में, अन्य बातों के अलावा, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों की चिंताओं का भी समाधान किया गया था। अतः, यह कहना गलत है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प चुनने के कारण वे बड़ी हुई अनुग्रह राशि के अंतर के हकदार नहीं थे।

7. श्री त्रिपाठी ने यह भी कहा कि अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा विशेष अपील संख्या 379/2021 का संदर्भ प्रासंगिक नहीं है क्योंकि यह पूरी तरह से एक अलग मुद्दे से संबंधित है, जो ग्रेच्युटी के भुगतान से संबंधित है, जो यहां का विषय नहीं है, और उसमें की गई टिप्पणियां अपीलकर्ताओं के लिए सहायक नहीं हो सकती हैं।

8. यह भी प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ताओं को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प चुनने के बावजूद, 19 और 24 वर्ष की सेवा सफलतापूर्वक पूरी करने के लिए अवकाश नकदीकरण और वित्तीय वेतनवृद्धि के अन्य देय भुगतान पहले ही दिए जा चुके थे। अब, बड़ी हुई अनुग्रह राशि में अंतर से संबंधित भुगतान के संबंध में, अपीलकर्ता ने याचिकाकर्ताओं के अभ्यावेदन को अस्वीकार करते हुए एक अलग दृष्टिकोण अपनाया है और इस पहलू पर विद्वान एकल न्यायाधीश

ने विचार किया था, जिन्होंने दिनांक 30.09.2015 और 30.12.2022 के कार्यालय आदेशों पर विचार करने के बाद रिट याचिका को स्वीकार कर लिया था और उक्त आदेश को इस न्यायालय के लिए अपने अंतर-न्यायालय अपीलीय क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप करने के लिए अनुपयुक्त नहीं कहा जा सकता है।

9. न्यायालय ने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की बात सुनी और अभिलेख में मौजूद सामग्री का भी अवलोकन किया।

10. अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री शुक्ला इस तथ्य से इनकार नहीं कर सके कि ऐसे वित्तीय सेवा लाभ, जो उन कर्मचारियों को देय थे जिन्होंने 19 वर्ष और 24 वर्ष की सफल सेवा पूरी कर ली थी, उन कर्मचारियों को भी दिए गए थे जिन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प चुना था और भुगतान स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद किया गया था।

11. श्री शुक्ला इस तथ्य को भी नकार नहीं सके कि दिनांक 30.09.2015 के कार्यालय आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों सहित सभी कर्मचारियों को देय कोई भी बकाया राशि प्राप्त करने का अधिकार है। अपीलकर्ताओं द्वारा जारी दिनांक 30.09.2015 और 30.12.2022 के दो कार्यालय आदेशों को पढ़ने से किसी भी तरह से यह संकेत नहीं मिलता कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों को देय कोई भी बकाया राशि देय नहीं होगी।

12. इसी संदर्भ में याचिकाकर्ताओं को 19 वर्ष और 24 वर्ष की सेवा सफलतापूर्वक पूरी करने पर देय अवकाश नकदीकरण और वेतनवृद्धि से संबंधित बकाया राशि का भुगतान भी किया गया था। अतः, याचिकाकर्ताओं को देय अनुग्रह राशि में अंतर को केवल इस आधार पर अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं बनता कि उन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प चुना था।

13. इस मामले का एक और पहलू है, अर्थात् अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाया गया तर्क कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अनुसार, याचिकाकर्ता 30.09.2015 के कार्यालय आदेश से संबंधित देय राशि के अलावा किसी अन्य राशि का दावा नहीं कर सकते। उक्त कार्यालय आदेश में स्पष्ट रूप से उन कर्मचारियों का उल्लेख है जिन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प चुना था, इसलिए उक्त तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता।

14. स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों को उनके वैध बकाया के भुगतान पर किसी प्रकार की रोक का उल्लेख नहीं है। यदि ऐसा होता, तो संघ द्वारा याचिकाकर्ताओं को 19 और 24 वर्ष की सेवा पूरी करने पर अवकाश नकदीकरण और आर्थिक सेवा लाभ का भुगतान करने का कोई कारण नहीं था। अतः, अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त तर्क इस न्यायालय को स्वीकार्य नहीं है।

15. हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण और अन्य बनाम स्कोप सेल्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य: 2026 एससीसी ऑनलाइन एससी 112 मामले में यह टिप्पणी की कि अंतर-न्यायालय अपील में सीमित हस्तक्षेप ही किया जाना चाहिए, जब तक कि विद्वान एकल न्यायाधीश का मत विकृत या स्पष्ट रूप से त्रुटिपूर्ण न हो। इसके अलावा, केवल इसलिए कि कोई अन्य मत संभव है, यह अपने आप में हस्तक्षेप का आधार नहीं होना चाहिए।

16. इस न्यायालय का मानना है कि उपर्युक्त आधार इस मामले में लागू नहीं होते, क्योंकि माननीय एकल न्यायाधीश द्वारा दिनांक 08.07.2024 के अपने निर्णय में रिट याचिका को स्वीकार करने में कोई स्पष्ट त्रुटि नहीं पाई गई है। उपरोक्त कारणों से, यह विशेष अपील गुण-दोष हीन है और तदनुसार खारिज की जाती है। लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।

(न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह) (अरुण भंसाली मुख्य न्यायाधीश)

17 फरवरी, 2026

आशीष